राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–138 / 2024

रश्मि कुमारी मंगल

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील अपीलार्थी ने इसलिए प्रस्तुत की है कि अपीलार्थिया को जनवरी, 2023 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थिया ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलार्थिया का स्थानांतरण रा.बा.उ.मा.वि., खण्डार, सवाईमाधोपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, जयपुर पूर्व, जिला जयपुर में किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश को अपीलार्थिया ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6056 / 2022 के द्वारा चुनौती दी थी। इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2022 के द्वारा उक्त अपील को इस प्रकार से निस्तारित किया गया था कि अपीलार्थिया सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन अधिकरण से आदेश पारित होने की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में निस्तारित कर आख्यात्मक आदेश पारित करेंगे। यह भी आदेश दिया गया था कि अभ्यावेदन निस्तारित होने तक उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थिया द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावहीन हो जावेगा। अपीलार्थिया ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थिया ने स्थगन आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण के समक्ष दिसम्बर, 2022 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई थी।

अपीलार्थिया ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थिया ने स्थगन आदेश की पालना में दिनांक 10.12.2022 को कार्यग्रहण कर लिया था, परंतु अपीलार्थिया को कार्यग्रहण की तिथि के बाद जनवरी, 2023 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कथन रहा है कि इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 08.12.2022 की पालना में अपीलार्थिया ने 4 सप्ताह में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार अपीलार्थिया ने स्वयं ने स्थगन आदेश की पालना नहीं की है और अधिकरण के आदेशानुसार अपीलार्थिया द्वारा स्थगन आदेश की पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण के अंतरिम आदेश की पालना में अपीलार्थिया उसी विद्यालय में अभी तक कार्यरत है। उसे कार्यमुक्त भी नहीं किया गया। ऐसे में अपीलार्थिया को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए था। अपीलार्थिया के संबंध में स्थानांतरण आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थिया के पक्ष में इस अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश इस शर्त के साथ के पारित किया गया था कि अपीलार्थिया स्थगन आदेश पारित होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत करेगी, परंतु अपीलार्थिया द्वारा 4 सप्ताह के अंदर कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हो तो उसकी प्रति पेश नहीं की है और न ही अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त रसीद की प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थिया का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थिया ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर अपीलार्थिया को रसीद नहीं दी गई। अगर अपीलार्थिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया होता तो रसीद प्राप्त की गई होती। अपीलार्थिया के अधिवक्ता के स्तर पर कथन है कि वे उस अभ्यावेदन को रिकॉर्ड पर पेश करना चाहते हैं, जो उन्होंने दिसम्बर, 2022 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत किया था और जिसके एवज में उन्हें रसीद नहीं दी गई। अगर अपीलार्थिया के पास कोई अभ्यावेदन की प्रति होती तो वे स्वयं उस प्रति को इस अपील के प्रस्तुत करते। यह भी नहीं माना जा सकता है कि विभाग द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती हो या अपीलार्थिया को किसी अधिकारी ने रसीद देने से इनकार किया हो। ऐसे में हम यह पाते हैं कि

अपीलार्थिया द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई भी अभ्यावेदन प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसे में अपीलार्थिया द्वारा सशर्त अंतरिम स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात निश्चित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने से स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो चुका है, परंतु स्थगन आदेश के आधार पर गलत रूप से कार्यरत होकर इस अधिकरण से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अपीलार्थिया ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। यह अधिकरण अपीलार्थिया के वेतन के संबंध में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं मानता है। बकाया वेतन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम है।

4. अतः वेतन के संबंध में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।
5. उपरोक्त विवेचना के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)